राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान बनाम लालाराम 548/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत कर आदेश दिनांक 30/7/2018 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10/10/2019 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बंधित मूल वाद विभाजन का है, जिसमे दोनों पक्ष सहखातेदार/काश्तकार है एवं कानूनन एक रिकार्डेड सहखातेदार को उनकी खाते की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। ऐसेमें अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10/10/2019 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	